बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 21835 पटना, दिनांक 30.01.15

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(नोटिस)-102-46/2013

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- निर्माणाधीन इंदिरा आवास को पूर्ण कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले बेघर परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर स्थायी आवास की समस्या का समाधान करना है । इस क्रम में आवश्यक है कि जिन लाभुकों को इंदिरा आवास की स्वीकृति दी जाती है उन्हें आवश्यकतानुसार नियमानुसार तकनीकी एवं अन्य अपेक्षित सहयोग प्रदान कर तथा प्रेरित कर आवास को पूर्ण कराया जाय । जो लाभार्थी सहायता राशि लेकर आवास का निर्माण नहीं कराये हैं उन्हें निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिए नोटिस देने तथा उसके बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने वाले लाभुकों से सहायता राशि की वसूली की कार्रवाई तथा अन्य विधिसम्मत कार्रवाई करने का निदेश पूर्व में ही दिया जाता रहा है । इंदिरा आवास के सघन पर्यवेक्षण के साथ-साथ लाभुकों को सहयोग प्रदान करने तथा उन्हें प्रेरित कर निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीण आवास सहायक की सेवा दी गयी है तथा तकनीकी सहयोग एवं विशेष पर्यवेक्षण के लिए प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक भी कार्यशील किये गये हैं । इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में इंदिरा आवास निर्माणाधीन है । आवासों के निर्माणाधीन रहने से योजना पर व्यय की सार्थकता सिद्ध नहीं हो रही है, वहीं योजना का उद्देश्य भी विफल हो रहा है । भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवास की अपूर्णता पर खेद व्यक्त करते हुए निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराने की ओर बार-बार ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है ।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर विशेष अभियान चलाकर तत्काल तीन वित्तीय वर्षों यथा वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने का निर्णय लिया है । तदनुसार आपसे अनुरोध है कि उक्त तीन वर्षों में स्वीकृत आवासों के लाभुकों से संपर्क स्थापित कर अगले तीन माह में निर्माणाधीन आवास को पूर्ण कराकर आवास साफ्ट पर अपलोड करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय । साथ ही इन तीन वर्षों के लाभुकों की सूची मोबाईल नंबर के साथ विभाग के misiayrddbihar@gmail.com पर उपलब्ध करा दी जाय

ताकि आवश्यकतानुसार विभाग स्तर से भी लाभुकों से संपर्क स्थापित किया जा सके । इससे संबंधित पाक्षिक प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में प्रत्येक माह के 10वीं एवं 25वीं तारीख को विभाग को excel Format में निश्चित रूप से उक्त ई-मेल आईडी पर उपलब्ध करा दी जाय ।

वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में स्वीकृत आवासों में से पूर्ण किये गये आवासों का पाक्षिक प्रतिवेदन (प्रथम पक्ष/ द्वितीय पक्ष)

जिला का नाम :-

प्रतिवेदन की तिथि :-

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत आवासों की सं0	पूर्ण किये गये आवासों की सं0			अभ्युक्ति
				प्रतिवेदन के पूर्व	प्रतिवेदन पक्ष में	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू) 29/1/15

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 218535 पटना, दिनांक 30.01.15

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव 29/1/15

E:\D Drive\Mukesh\IAY 1187.doc